न्यायालय, अपर सेशन न्यायाधीश क्रम–10, जयपुर महानगर प्रथम

(मुख्यालय सांगानेर)

पीठासीन अधिकारी – : शालिनी महर्षि, आर.जे.एस,

(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दांडिक विविध प्रार्थना पत्र संख्या : 109/2023

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या : 71/2023 पुलिस थाना मालपुरा गेट,जयपुर पूर्व, अपराध अन्तर्गत धारा 143, 147, 149, 323, 341, 342, 364क, 368 भा.दं.सं.

राधेश्याम योगी पुत्र श्री मोहनलाल योगी, उम्र 23 साल, निवासी–गॉव सुनारी, तहसील निवाई, पुलिस थाना निवाई, जिला टोंक,राजस्थान।

– प्रार्थी–अभियुक्त

विरूद्ध

राजस्थान राज्य

–विपक्षी–अभियोगी

जमानत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 439 द.प्र.सं.

उपस्थितः–

श्री आर.पी.बैनाडा, योग्य अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त

श्री ओ0पी चौधरी योग्य अपर लोक अभियोजक–राज्य ।

आदेश दिनांक : 16.02.2023

1. इस आदेश के द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त राधेश्याम योगी की ओर से जरिए अधिवक्ता पृथक–पृथक प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्रों अन्तर्गत धारा 439 दं. प्र.सं. का निस्तारण किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र की नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलवाई गई। अनुसंधान पत्रावली तलब कर उसका अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्रों पर उभय पक्ष को सुना गया तथा अनुसंधान पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।
2. प्रार्थी–अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी–अभियुक्त को झूंठा फंसाया गया है, उसका आरोपित अपराध से कोई लेना–देना नहीं है। उससे न तो किसी प्रकार की बरामदगी हुई है और न ही किसी प्रकार की बरामदगी व अनुसंधान शेष है। वह नवयुवक है। विचारण में लम्बा समय लगेगा। बेल नियम है एवं जेल अपवाद है। वह दिनांक 03.02.2023 से न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

3. इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा इसका विरोध करते हुए कथन किया गया कि अभियुक्त पर गम्भीर आरोप है। अतः जमानत आवेदन पत्र अस्वीकार किया जावे।
4. प्रस्तुत प्रकरण में परिवादिया श्रीमती अंशु विश्वकर्मा ने पुलिस थाना मालपुरा गेट, जयपुर पूर्व में दिनांक 03.02.2023 को एक तहरीरी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके संक्षिप्त तथ्य यह है कि उसका पति रात 9 बजे केशव अंकल की दुकान पर जाकर आने के लिए कह कर गया, जब वह नहीं आया तो उसने फोन कर केशव अंकल से पूछा तो उन्होंने बताया कि 6–7 लोग उसके पति को पिकअप में डालकर ले गये। सुबह पति के मोबाईल से अंजान व्यक्ति का फोन आया व कहा कि पति उनके कब्जे में है, छुडवाना चाहते हैं तो एक लाख रूपये दो। आदि पर पुलिस थाना मे प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 71/2023 अपराध अन्तर्गत धारा 143, 147, 149, 323, 341, 342, 364क, 368 भा.दं.सं. में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। अनुसंधान के दौरान अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। वर्तमान में प्रार्थी/ अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।
5. केस पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थी/अभियुक्त पर सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर अपहर्ता रजत को मारपीट करके बोलेरो गाडी संख्या आर.जे. 14–एस.आर. 7545 में डालकर उसका अपहरण कर ले जाने एवं उसे बंधक बनाकर उसकी पत्नी से एक लाख रूपये फिरौती मांगने के अपराध अन्तर्गत धारा–143, 147, 149, 323, 341, 342, 364क, 368 भा.दं.सं.के आरोप में अनुसंधान लम्बित है। अपहर्ता के धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान केस डायरी पर उपलब्ध हैं, जिसमें उसने उसके साथ मारपीट करने एवं जंगल में सुनसान जगह ले जाकर कमरे में बंद करने व उसकी पत्नी को फिरौती की रकम के लिए फोन करके व उसका मोबाईल फोन, पर्स,डेबिट कार्ड इत्यादि छीनकर अपने पास रख लेने आदि के कथन किये हैं। आरोपित अपराध अत्यन्त ही गम्भीर प्रकृति का हैं। चोट प्रतिवेदन से आहत के शरीर के 06 स्थानों पर चोटें आना दर्शित हो रहा है। सह अभियुक्तगण–शंकरलाल, कमलेश एवं सुरेन्द्र का जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा दिनांक 14.02.2023 को इस न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों, अपराध की

प्रकृति व गम्भीरता को देखते हुए, मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थी / अभियुक्त को इस स्तर पर जमानत की सुविधा का लाभ देना यह न्यायालय उचित नहीं पाता है।

:::आदेश ::

6. परिणामतः प्रार्थी / अभियुक्त राधेश्याम योगी पुत्र श्री मोहनलाल योगी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 71 / 2023 पुलिस थाना मालपुरा गेट,जयपुर पूर्व, अपराध अन्तर्गत धारा 143, 147, 149, 323, 341, 342, 364क, 368 भा.दं. सं. में प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा– 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(शालिनी महर्षि)
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश,
क्रम–10,जयपुर महानगर,प्रथम (मुख्यालय सांगानेर)

7. आदेश आज दिनांक 16.02.2023 को लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(शालिनी महर्षि)
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश,
क्रम–10,जयपुर महानगर,प्रथम (मुख्यालय सांगानेर)